



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269516  
CG-DL-E-22012026-269516

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265।

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 265।

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSAH 30, 1947

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

**का.आ. 293(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में हुबली शहर से गुजरने वाले एनएच 63 पर किमी 135.650 से 136.450 अंकोला-गूटी रोड तक भूमि के खंड में एनएच - 63, 4 और 218 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिले में NH4 पर किमी 249.00 से 250.050 पुरानी पुणे-बेंगलुरु सङ्केत परिवहन और किमी 193.800 से 193.350 (रानीचेन्नम्मा सर्कल) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ह शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग धारवाड़ 580001 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी

आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में हुबली शहर से गुजरने वाले एनएच 63 पर किमी 135.650 से 136.450 अंकोला-गूटी रोड तक भूमि के खंड में एनएच - 63, 4 और 218 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिले में NH4 पर किमी 249.00 से 250.050 पुरानी पुणे-बंगलुरु सड़क और किमी 193.800 से 193.350 (रानीचेन्नाम्मा सर्कल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: धारवाड़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हुबली					
गांव का नाम: हुबल्ली					
1	2888/1A1	निजी	ड्राय	40 (वर्ग मीटर)	0.004
2	2954/1	निजी	ड्राय	20.82 (वर्ग मीटर)	0.002082
3	2959	निजी	ड्राय	7.03 (वर्ग मीटर)	0.000703
4	2960	निजी	ड्राय	48 (वर्ग मीटर)	0.0048
5	2965/1	निजी	ड्राय	89.8 (वर्ग मीटर)	0.00898
6	2965/2	निजी	ड्राय	29.74 (वर्ग मीटर)	0.002974
7	2984	निजी	ड्राय	49.02 (वर्ग मीटर)	0.004902
8	2985	निजी	ड्राय	16.33 (वर्ग मीटर)	0.001633
Total					0.030074

[फा. सं. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

**S.O. 293(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH - 63, 4 & 218 in the stretch of land from Km 135.650 to 136.450 Ankola-Gooty Road on NH 63 passing through Hubballi City,

from Km 249.00 to 250.050 Old Pune- Bangalore Road on NH4 and from km 193.800 to 193.350 (Ranichennamma Circle) in the district of DHARWAD in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition officer and Competent Authority National Highways Dharwad 580001 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDELE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 135.650 to 136.450 Ankola-Gooty Road on NH 63 passing through Hubballi City, from Km 249.00 to 250.050 Old Pune- Bangalore Road on NH4 and from km 193.800 to 193.350(Ranichennamma Circle) of NH - No 63, 4 & 218 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: DHARWAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Hubballi</b>					
<b>Village: Hubbli</b>					
1	2888/1A1	Private	Dry	40 (Square Meter)	0.004
2	2954/1	Private	Dry	20.82 (Square Meter)	0.002082
3	2959	Private	Dry	7.03 (Square Meter)	0.000703
4	2960	Private	Dry	48 (Square Meter)	0.0048
5	2965/1	Private	Dry	89.8 (Square Meter)	0.00898
6	2965/2	Private	Dry	29.74 (Square Meter)	0.002974
7	2984	Private	Dry	49.02 (Square Meter)	0.004902
8	2985	Private	Dry	16.33 (Square Meter)	0.001633
<b>Total</b>					<b>0.030074</b>

[F. No. RW/BNG/NH-63,4&218/105/2019/495/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director